



Slp-452001


05AA 138177

465000

for paid

An-33758-4  
 L-2-50  
 P.P. - 0-9-17  
 33753-44

Murali.  
 निबंध  
 24/12  
 24/11/17



नाम लेख्यकारी (VENDOR): -

श्री नागेन्द्र महतो पिता स्व0 राधा महतो, जाति कोईरी,  
 पेशा व्यापार, निवास स्थान हटिया गार्डेन, लोहरदगा,  
 थाना लोहरदगा, जिला लोहरदगा, झारखण्ड, राष्ट्रीयता  
 भारतीय। UID-7743-0751-1134 PAN-BEOPM5727B Ph-8507558294  
 वर्तमान पता - झारिकापुरी रांची।

नाम लेख्यधारी (VENDEE): -

श्री कंचन कुमार पिता केदार साव, जाति कसेरा, पेशा  
 व्यापार, निवास स्थान धर्मशाला रोड, हटिया गार्डेन,  
 लोहरदगा, थाना लोहरदगा, जिला लोहरदगा, झारखण्ड  
 राष्ट्रीयता भारतीय। UID-4573-4740-1710 PAN-AYCPK7502K  
 Ph-7654688987

24/11/17  
 नागेन्द्र महतो

24/11/17  
 श्री कंचन कुमार  
 धर्मशाला रोड  
 हटिया गार्डेन  
 लोहरदगा





लेख्य प्रकार: - बिक्रय पत्र। (Absolute sale deed)

सम्पति का मूल्य: - मो० 11,25,000/ ग्यारह लाख पचीस हजार रुपये।

तफसील जमीन: - मवाजी 09¼ डि० सवा नौ डिसमिल (सवा बाब्बे कड़ी), जमीन हकियत छपरबंदी, म्यु० सर्वे प्लाट न० 1575 में से रकबा 55¼ कड़ी वो म्यु० प्लाट न० 1897 में से रकबा 06 कड़ी, वो म्यु० प्लाट न० 1899 में से रकबा 15 कड़ी वो म्यु० प्लाट न० 1900 में से रकबा 16¼ कड़ी, जमा प्लाट चार कुल बिकी का रकबा 92½ कड़ी, वाके मौजे लोहरदगा, थाना न० 194, थाना लोहरदगा, जिला लोहरदगा मुतल्के कलक्टरी डि० रजिस्ट्रार वो डि० सब रजिस्ट्रार मो० लोहरदगा। जो दखल में लेख्यकारी के चला आ रहा है। यह के बिक्रय सम्पति हर प्रकार के नुक्स से पाक वो साफ है। अगर किसी प्रकार का नुक्स होगा तो लेख्यकारी उसको पाक वो साफ कर देंगे वो उसके जवाबदेह वो देन्दार होंगे। अन्दर जमीन्दारी झारखण्ड राज्य द्वारा अंचलाधिकारी लोहरदगा, माल सालाने मो० 10/ रु०। अन्दर नगरपालिका लोहरदगा वार्ड न० 18 मुख्य पथ से दूर।





05AA 138175

सम्पत्ति का विवरण

म्यु0 प्लाट न0	रकबा	दर्जा
1575 में से	55¼ कड़ी	आवासीय
1897 में से	06 कड़ी	आवासीय
1899 में से	15 कड़ी	आवासीय
1900 में से	16¼ कड़ी	आवासीय

कुल रकबा 92¼ कड़ी

जिस पर मकान बना हुआ नहीं है। मैप के अनुरूप जो साथ पट्टा के संलग्न है वो रंग लाल से दर्शाया गया है जिसका नाम मैप में अंकित है।

म्यु0 प्लाट न0 1575 रकबा 55¼ कड़ी का चौहद्दी: -

उत्तर: - म्यु0 प्लाट न0 1897

दक्षिण: - रास्ता वो म्यु0 प्लाट न0 1577

पूरब: - आज खरीदगी मोकीर अलैह वो पार्ट म्यु0 प्लाट न0 1575

पश्चिम: - पार्ट म्यु0 प्लाट न0 1575,

म्यु0 प्लाट न0 1897 रकबा 06 कड़ी का चौहद्दी: -

उत्तर: - आज खरीदगी मोकीर अलैह


दक्षिण: - पार्ट म्यु0 प्लाट न0 1897

पूरब: - आज खरीदगी मोकीर अलैह

पश्चिम: - पार्ट म्यु0 प्लाट न0 1897,

18/11/18  
10/11/18





05AA 138174

म्यु0 प्लाट न0 1899 रकबा 15 कड़ी का चौहद्दी: -

उत्तर: - रास्ता

दक्षिण: - आज खरीदगी मोकीर अलैह

पूरब: - आज खरीदगी मोकीर अलैह वो पार्ट म्यु0 प्लाट न0 1900

पश्चिम: - पार्ट म्यु0 प्लाट न0 1897,

म्यु0 प्लाट न0 1900 रकबा 16¼ कड़ी का चौहद्दी: -

उत्तर: - आज खरीदगी मोकीर अलैह

दक्षिण: - पार्ट म्यु0 प्लाट न0 1900

पूरब: - पार्ट म्यु0 प्लाट न0 1900

पश्चिम: - आज खरीदगी मोकीर अलैह वो पार्ट म्यु0 प्लाट न0 1900

Handwritten signature and date: 10/10/20

यह घोषित किया जाता है कि उपरोक्त सम्पति सरकारी नहीं है वो न सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई है वो यह भी घोषित किया जाता है कि खनन्न, वन सीमा या भू हद बंदी के अन्तर्गत नहीं आती है वो मन्दिर, मठ, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा या सरना आदि की नहीं है वो पूर्व में बिकी नहीं की गई वो न आदिवासी खाते की है। वो यह भी घोषित किया जाता है कि यह जमीन छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(b) के दायरे में आने वाली अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की नहीं है।





यह के म्यु0 सर्वे प्लाट न0 1575 वो 1900 का म्यु0 खेसरा नाम से शिव चरण महतो के बना, वो म्यु0 सर्वे प्लाट न0 1897 रकबा 01 डि0 हौड़ा महतो के द्वारा बिकी रजिस्ट्री ता0 24.02.1939 निबंधन संख्या 281 वो म्यु0 सर्वे प्लाट न0 1899 रकबा 04 डि0 बालु महतो के द्वारा बिकी रजिस्ट्री ता0 18.01.1939 निबंधन संख्या 48 के नाम से शिवचरण महतो के प्राप्त हुआ।

यह के बाद स्वर्गवास शिवचरण महतो के उनके तीन पुत्रों काशिनाथ महतो, रामचन्द्र महतो वो राधा महतो के बीच आपसी बटवारा के खास हिस्सा में लेख्यकारी के पिता राधा महतो को मिला। वो बाद स्वर्गवास राधा महतो के उनके तीन पुत्र राजेन्द्र महतो, नागेन्द्र महतो वो सुरेन्द्र महतो उत्तराधिकारी हुए। वो आपसी बटवारा द्वारा खास हिस्सा में लेख्यकारी नागेन्द्र महतो को मिला वो दरखल में चला आ रहा है।

लेख्यकारी, लेख्यधारी से मो0 11,25,000/ रुपये मुल्य लेकर उपरोक्त सम्पति को साथ लेख्यधारी के पुर्ण अधिकार के बेचा वो बिकय पत्र लिखा वो बिकेता के स्थान पर केता को दरखल कार किया चाहिये के केता तथा उनके उत्तराधिकारी एके बा दिगरे उपरोक्त बिकय सम्पति पर कायम काबिज दरखल कार हो कर वो रह कर उपरोक्त प्लाट पर कुंआ खोदावें, मकान बनावें या जैसी इच्छा हो करें।



यह के आज के तारीख से किसी प्रकार का अधिकार वो दावा वास्ता या सरोकार उपरोक्त बिकय सम्पति पर बिकेता या उनके उत्तराधिकारी का बाकी नहीं रहा वो न भविष्य में होगा। यह के आज के रोज से पुर्ण अधिकार एवं स्वामित्व उपरोक्त बिकय सम्पति पर केता तथा उनके उत्तराधिकारी का हुआ वो होगा। यह के लेख्यधारी उपरोक्त बिकय सम्पति का दाखिल खारिज वगैरह करा लेवें। वो माल साल ब साल अंचलाधिकारी के सिरिस्ता में भुगतान कर के रसीद अपने नाम से प्राप्त कर लिया करें। कोई आपति बिकेता या उनके उत्तराधिकारी को न होगी इस वास्ते अपने खुशी से कुल रूपये भुगतान पाकर बिकय पत्र लिख दिया के समय पर काम आवे।

तारीख 24 अप्रैल सन् 2017 ई०।

ड्राफ्टेड बाई नकी अखतर अधिवक्ता साकिन पावरगंज लोहरदगा मजमून लेख्यकारी को पढ़ कर सुना दिया।

*Certify that the finger prints of the left hand of each person whose photographs is affixed in the document have been obtained before me.*

केता



पहचानकर्ता

(Naqee Akhtar)  
Enrolment No. JH716/2014

*Handy - 2017*



साकिन नकी